

03
26-7-2003
17-7-2003

267
17/7/2003



राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJBIL/2000/1717
RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

आषाढ 13, शुक्रवार, शके 1925— जुलाई 4, 2003
Asadha 13, Friday, Saka 1925- July 4, 2003

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 1, 2003

संख्या एफ. 23 (2) चिकि. एवं स्वा.।ग्रुप-3।2003।पार्ट:-गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 16ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का निम्नानुसार गठन करती है :-

1. राज्य मंत्री, परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, जयपुर
3. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
4. शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, जयपुर
5. शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर
6. शासन सचिव, आयुर्वेद एवं होम्योपैथी विभाग, जयपुर
7. निदेशक (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर
8. राजस्थान विधान सभा की तीन महिला सदस्य (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
9. सामाजिक विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
10. विधि विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
11. गैर सरकारी संस्थाओं की दो विख्यात सक्रिय महिला कार्यकर्ता (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
12. दो विख्यात स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
13. विख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
14. विख्यात अनुवंशिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
15. विख्यात रेडियोलोजिस्ट (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
16. विख्यात सोनोलोजिस्ट (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
17. अतिरिक्त निदेशक (प. क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

सदस्य सचिव।

- नोट :-
1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक प्रत्येक चार माह में अवश्य होगी।
 2. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड में क्र. सं. 8 से 16 में उल्लेखित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
डी. एन. पाण्डे,
उप शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।